न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 402/2017/225 आरटीए

भंवरलाल पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी 4 बीएचएम ढाणी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. पूर्णराम पुत्र मनफूलराम जाति मेघवाल निवासी 4 बीएचएम ढाणी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.11.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा प्र0 सं0 29/17 अनवानी पूर्णराम बनाम भंवरलाल

श्री जगराजसिंह भाटी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री अमनदीप सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांक –11.09.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट सं. 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश किया कि रेस्पो0 को अपनी खातेदारी भूमि मे जाने के लिए कोई सुविधाजनक रास्ता नही है। रेस्पो0 अपनी भूमि मे आने जाने के लिए अपीलांट की भूमि प.न. 96/372 मु.न. 9 कि. न. 21 मे 0.013 है0 रास्ता जो उतर से दक्षिण लम्बा है जो उत्तर दिशा मे आगे दूदराम पूनियां वगैरा के खेत की ओर जाता है जो कि.न. 11, 20 मे से होकर के जाता है, का उपयोग करता रहा है। उक्त रास्ता पिछले 30 वर्षो से चालू है। इसी अनुसार प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया। अपीलांट ने हाजिर होकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब देही को नजरअंदाज करते हुए तथा बिना कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट अथवा पटवारी हल्का की रिपोर्ट लिये बिना प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौती अधीन आदेश मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही को नजरअंदाज करते हुए यह आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही मे यह स्पष्ट रूप सशपथ कथन किया गया कि प्रार्थी/रेस्पो0 को अपनी भूमि मे जाने के लिए वैकल्पिक एवं सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है तथा रेस्पो0 की भूमि पूर्व मे अपने भाईयो साथ संयुक्त खाता की भूमि थी। जिसमे से रास्ता इत्यादि की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए खाता विभाजन करवाया गया है तथा इसी अनुसार रेस्पो0 अपनी भूमि मे आवागमन करता है। अपीलांट के इन कथनो का कोई खण्डन प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष पेश प्रार्थना पत्र रेस्पो0 के संबंध मे किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व अथवा पटवारी हल्का से प्राप्त नही की गई तथा मात्र प्रार्थना पत्र रेस्पो0 के आधार पर ही चुनौतीधीन आदेश पारित किया गया जो काबिले खारिज है। अपीलांट द्वारा दिनांक 17.11.17 को उक्त प्रकरण मे एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि अपीलांट इस प्रकरण मे अपनी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है तथा पडौसी काश्तकारान के ब्यान करवाना चाहता है। इसके बिना उक्त प्रकरण का विधि पूर्ण न्यायनिर्णयन सम्भव नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को अदालत द्वारा बिना कोई आधार अंकित किये खारिज कर दिया गया तथा बिना अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुने इसी दिवस चुनौतीधीन आदेश भी पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त को किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपील मे वर्णित तथ्यं गलत व बेबुनियाद आधारो पर दर्ज किये गये है। रेस्पो0 द्वारा क्रमांक 690 दिनांक 03.08.2017 को विचारण न्यायालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अपीलांट द्वारा रास्ते मे अतिक्रमण किये जाने संबंधी कथन किये गये है। इस प्रार्थना पत्र द्वारा तहसीलार पीलीबंगा से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसमे अंकित किया गया कि चक 4 बीएचएम के प.न. 96/372 कि.न. 21 मे पूर्व मे रास्ता चालू था इस रास्ता भूमि मे जो 10 दिन पूर्व वृक्ष लगाये है जो शिशु अवस्था मे है। रेस्पो0 को अपने खेत मे आने जाने के लिए उक्त प्रश्नगत रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। अपीलांट को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये गये रास्ते से किसी भी प्रकार से कोई हानि नही हो रही है। विचारण न्यायालय द्वारा प.न. 96/372 मु.न.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9 कि.न. 21 मे 0.013 है0 रास्ता स्वीकृत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो0 द्वारा क्रमांक 690 दिनांक 03.08.2017 को विचारण न्यायालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अपीलांट द्वारा रास्ते मे अतिक्रमण किये जाने संबंधी कथन किये गये है। इस प्रार्थना पत्र द्वारा तहसीलार पीलीबंगा से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसमे अंकित किया गया कि चक 4 बीएचएम के प.न. 96/372 कि.न. 21 मे पूर्व मे रास्ता चालू था इस रास्ता भूमि मे जो 10 दिन पूर्व वृक्ष लगाये है जो शिशु अवस्था मे है। रेस्पो0 को अपने खेत मे आने जाने के लिए उक्त प्रश्नगत रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया है जिसमे अपीलांट का तर्क है कि ''प्रार्थी/रेस्पो0 को अपनी भूमि मे जाने के लिए वैकल्पिक एवं सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है तथा रेस्पो0 की भूमि पूर्व मे अपने भाईयो साथ संयुक्त खाता की भूमि थी। जिसमे से रास्ता इत्यादि की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए खाता विभाजन करवाया गया है तथा इसी अनुसार रेस्पो0 अपनी भूमि मे आवागमन करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष पेश प्रार्थना पत्र रेस्पो0 के संबंध मे किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व अथवा पटवारी हल्का से प्राप्त नही की गई तथा मात्र प्रार्थना पत्र रेस्पो0 के आधार पर ही चुनौतीधीन आदेश पारित किया गया जो काबिले खारिज है।''

6. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के संबंध मे तहसीलदार पीलीबंगा से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमे अंकित किया गया कि चक 4 बीएचएम के प.न. 96/372 कि.न. 21 मे पूर्व मे रास्ता चालू था। इस रास्ता भूमि मे जो 10 दिन पूर्व मे वृक्ष लगाए है जो शिशु अवस्था मे है। इसके उपरांत दिनांक 03.08.17 को पुनः रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमे अंकित किया गया कि चक 4 बीएचएम के प.न. 96/372 के कि.न. 21 मे पूर्व मे रास्ता चालू था तथा पूर्णराम को अपने खेत मे आने जाने के लिये उक्त प्रश्नगत रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। इस प्रकार यह साबित होता है कि रेस्पो0 सं. 1 को अपनी भूमि मे आने जाने हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है तथा प्रश्नगत रास्ता को पूर्व मे चालू होना बताया गया और बाद मे अपीलांट द्वारा बन्द कर दिया गया, को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता के संबंध मे विस्तृत मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत ही स्वीकृत किया गया है जिसमे किसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि होना प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.11.2017 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official